

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

मो. सलीम,
श्रम आयुक्त, बिहार।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त, (कृ०श्र०) पटना ।

पटना, दिनांक:-

29-2-16

विषय:-


आय व्यय शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-101- औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष
-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तनतंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी
2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1524 दिनांक 26.05.15 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तनतंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत, माह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु कार्यालय उपयोग एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर गठित धावा दल के सघन निरीक्षण हेतु संविदा के आधार पर निविदा प्राप्त कर वाहन की व्यवस्था हेतु वाहन का ईंधन एवं रख रखाव इकाई (13-02) में ₹ 400/- (रु० चार सौ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में सततव उपलब्ध करा दी जाय ।
5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

निश्चाराभाजन,



(मो. सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।


पटना, दिनांक

29-2-16

ज्ञापांक:- 6/एफ1-308/2015 श्र0सं0:-

105

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



(मो. सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

पटना, दिनांक

29-2-16

ज्ञापांक:-6/एफ1-308/2015श्र0सं0:-

105

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रमंडलीय आयुक्त पटना/ जिला पदाधिकारी पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना /आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-2 (सरकार पक्ष)/प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



(मो. सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।